रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1980/कार्तिक 24, 1902

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1980/KARTIKA 24, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1980

सा० का० नि० 1173.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8-क के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, उत्तर प्रदेश से संबंधित शीर्ष 13, उत्तर प्रदेश के नीचे मद (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) उच्च न्यायालय इलाहाबाद

(1) श्री अंशुमन सिंह, केन्द्रीय सरकार का ज्येष्ठ स्थायी काउंसेल।

(2) श्री रवि एस० धवन, केन्द्रीय सरकार का अपर स्थायी काउंसेल

(3) श्री चन्द किशोर, केन्द्रीय सरकार का अपर स्थायी काउंसेल।

(4) श्री अशोक मोहिले, केन्द्रीय सरकार का अपर स्थायी काउंसेल।

[सं० 36(6)/8-न्यायिक]

एच० जी० मण्डल, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 1st October, 1980

G.S.R. 1173.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8A of order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, under the heading 13, Uttar Pradesh, relating to Uttar Pradesh for item (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

(a) High Court, Allahabad :

(i) Shri Anshuman Singh,
Senior Central Government Standing Counsel.

(ii) Shri Ravi S. Dhavan,
Additional Central Government Standing Counsel.

(iii) Shri Chand Kishore,
Additional Central Government Standing Counsel.

(iv) Shri Ashok Mohiley,
Additional Central Government Standing Counsel.

[No. 36(6)/80-Judl.]
H. G. MANDAL, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1980

सा०का०नि० 1205—भारत राजपत्र के भाग II खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 24 मई, 1980 के पृष्ठ 1182-1184 के पैरा 2 में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 578, दिनांक 8 मई, 1980 के नोट (2) को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

"वायुयान, वायुयान घटकों तथा वायुयान में लगे उपकरणों, जिनका कुल मिलाकर वजन 15,000 किलोग्राम या इससे कम हो के अनुरक्षण, ओवरहाल, परिवर्तन, मरम्मत, निरीक्षण, अभिक्रिया प्रसंस्करण, आदि में नियोजित फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों/स्कूलों एवं ग्लाइडिंग क्लबों/केन्द्रों/स्कंधों से अनुमोदन अथवा नवीकरण के लिए कोई फीस नहीं ली जायेगी।"

[फाइल सं० ए० वी० 11012/17/78-ए०]
एस० एकाम्बरम, निदेशक

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

ERRATUM

New Delhi, the 30th October, 1980

G.S.R. 1205.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation GSR 578 dated the 8th May 1980, published on pages 1182-1184 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 24th May 1980, under paragraph 2, Note (2) may be amended to read as follows :—

"No fees will be charged for approval or renewal from Flying Clubs/Institutes/Schools and Gliding Clubs/Centres/Wings engaged in maintenance, overhaul, modification, repair, inspection, treatment, processing, etc. of aircraft, aircraft components and items of equipment installed in aircraft having all-up weight of 15,000 kgs. and below".

[F. No. Av. 11012/17/78-A]
S. EKAMBARAM, Director

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1980

सा० का० नि० 1206.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह ख पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह ख पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (समूह ख पद) भर्ती नियम, 1962 में,

(क) स्तम्भ 7 और 8 के बीच निम्नलिखित स्तंभ और उसका शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7क सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं"

(ख) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी:—

अनुसूची

आकाशवाणी में विस्तार अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	क्या के०सि० से० (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	7क	8
"22	विस्तार अधिकारी	22	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:—आयु सीमा अवधारित करने के लिए	नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र/शिक्षा/परिचर्या/पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि या समतुल्य।

1	2	3	4	5	6	7
					निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	(2) स्वास्थ्य शिक्षा/समाज शिक्षा/जन संचार/ दृश्य श्रव्य शिक्षा/जन संपर्क में प्रशिक्षण। (3) परिवार नियोजन के क्षेत्रों में शैक्षिक क्षेत्र में या लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रशिक्षण/अनुसंधान का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। (4) प्रादेशिक भाषाओं/बोलियों का ज्ञान। (भर्ती के समय उपदर्शित की जाने वाली अपेक्षा के अनुसार) टिप्पण 1.——अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2.——अनुभव संबंधी (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वांछनीय: (1) स्वास्थ्य शिक्षा में स्नातकोत्तर अर्हताएं; (2) स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सामग्री जैसे पैम्फलेट पोस्टर, फिल्म स्ट्रिप, प्रदर्श आदि तैयार करने और उनका प्रयोग करने का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए विर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी द्वारा।	प्रोन्नति:-- ऐसे फील्ड रिपोर्टर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास उस क्षेत्र की जिसमें पद अवस्थित है, भाषा/बोली का ज्ञान है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने क्रमश : 500-900 रु० /475-700 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर क्रमश : 3/8 वर्ष सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति जिसमे निम्नलिखित होंगे:-- (क) उप महानिदेशक (पी) --अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (आई)] --सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन और वित्त) --सदस्य टिप्पण:-- पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि संघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है, तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती द्वारा चयन करते समय, प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी का चयन करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[सं० ए-12019/7/78-बी(ए)]

आर० बी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 13th October, 1980

G.S.R. 1206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the All India Radio (Group B Posts Recruitment Rules, 1962), namely :

1. (1) These rules shall be called the All India Radio (Group B Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1962),

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group B Posts) Recruitment Rules, 1962 :

(a) between Column 7 and 8 the following column and heading thereto shall be inserted, namely :—

"7A. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972".

(b) for Serial No. 22 and the entries, relating thereto the following shall be substituted :—

SCHEDULE

Revised recruitment rules for the post of Extension Officer, All India Radio

S. No.	Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	"7 A"	8.
"22.	Extension Officer.	22	G.C.S. Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 650-35-740-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection.	Not exceeding 35 yrs. (Relaxable for Govt. servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands & Lakshadweep).	No.	Essential: (i) Bachelor's degree in Social Science/Education/Nursing/Journalism from a recognised University or equivalent. (ii) Training in Health Education/Social Education/Mass Communication/Audio-Visual Education/Public Relations. (iii) 5 years' practical experience in educational aspects of family planning, or in training/research in public health programme. (iv) Knowledge of the regional language/dialect (according to requirement to be indicated at the time of rectt.) Note : 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2 The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes & S.Ts if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: (I) Post-graduate qualifications in Health Education. (II) Experience in production and use of Health Education materials such as pamphlets, posters, film-scripts, exhibits, etc.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation / transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
No	2 yrs.	50% by promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment, 50% by direct recruitment.	Promotion: Field Reporters with 5 yrs. regular service in the grade and having knowledge of the language/dialect of the region in which the post is located. Transfer on deputation: Officers under the Central/State Govts. holding analogous posts or with 3/8 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900/-Rs. 425-700 or equivalent respectively and possessing the educational qualifications and experience of the type prescribed for direct recruits under Col. 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' D.P.C. comprising of: (i) Dy. Director Gen. (P)—Chairman. (ii) Dy. Director Gen. (I)—Member. (iii) Director (Ad. & Fin.)—Member. Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval, if, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment, selecting an officer for appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[No. A-12019/7/78-B(A)
R. D. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1980

सा० का० नि० 1207.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के पूर्ति, निपटान तथा निरीक्षण सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक (ग्रेड-2) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ:—ये नियम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के पूर्ति, निपटान महानिदेशालय के पूर्ति, निपटान तथा निरीक्षण सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिक (ग्रेड-2) भर्ती नियम, 1980 कहे जाएंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं आदि:—उक्त पद के संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं और तत्सम्बन्धी अन्य बातें वे होंगी, जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

अनर्हताएं:—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित है

अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो—

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।